कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जबलपुर

क्र./ 59 /एस.टी.छात्रवृत्ति / जजाकवि /2026 जबलपुर दिनांक 09/04/2026

प्रति,

जिला जन संपर्क अधिकारी,
सूचना एवं प्रकाशन विभाग,
जिला जबलपुर

विषयः– अनुसूचित जनजाति विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2026–27 की प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में।

संदर्भः– आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र कमांक/वि.अ.छा./12/2026/6390 भोपाल दिनांक 31.03.2026

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि विभाग द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनाजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित है। योजना नियम 2003 एवं संशोधन आदेश दिनांक 12.07.2013 अनुसार जनसंपर्क के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में पात्र विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राप्त हुआ है।

आगामी दिवस में जारी होने वाले सभी दैनिक समाचार पत्रों में संलग्न विज्ञप्ति प्रसारित किये जाने हेतु अनुरोध है।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
जबलपुर

पृष्ठांक क्रं./ 59 A/एस.टी.छात्रवृत्ति / जजाकवि /2026 जबलपुर दिनांक 09/04/2026

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर पत्र क्रमांक/सं.उपा./योजना/वि.अ.छा./2026/1062 जबलपुर दिनांक 09.04.2026 के पालन में सादर सूचनार्थ।
4. समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय जिला जबलपुर की ओर संलग्न विज्ञप्ति को महाविद्यालयों के सूचना पटल में चस्पा करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश
59, आदि भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों हेतु
"विदेश अध्ययन छात्रवृति योजना"

विज्ञप्ति (वर्ष 2026-27)

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-16/2003/25-2/ दिनांक 30 अगस्त 2003 के द्वारा लागू एवं समय समय पर संशोधित योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति योजना के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं। विदेश में उच्च शिक्षा यथा शोध उपाधि उपरांत अध्ययन, पी.एच.डी. एवं स्नातकोत्तर करने हेतु चयनित अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

छात्रवृति के लिए स्लॉटों की संख्या: 50

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जनजातीय कार्य विभाग की Website: tribal.mp.gov.in पर उपलब्ध है। योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन वर्तमान प्रचलित योजना नियमों में प्रावधान अनुसार किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर अथवा कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, 59, आदि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल / संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनु. जाति विकास / सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक जनजातीय कार्य में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(तरूण राठी)
आयुक्त
जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner